न्यायालय विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1, गाजीपुर
उपस्थितः शक्ति सिंह–I (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP6352
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1183/2026
CNR No. UPGH01002753–2026

अरशद जमाल उर्फ मेराज पुत्र गुल मुहम्मद, साकिन–अहिरपुरवा, थाना–जंगीपुर, जिला गाजीपुर।
----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०), गाजीपुर।
2– डॉ० सत्येन्द्र कुमार यादव, थाना बिरनों, जिला गाजीपुर।
----------विपक्षीगण

मु०अ०सं०–113/2026
धारा–8/21, 27A, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना– बिरनों, जनपद–गाजीपुर

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक/अभियुक्त अरशद जमाल उर्फ मेराज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–113/2026 अन्तर्गत धारा–8/21, 27A, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना–बिरनों, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–01.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2026 को मैं थाना प्रभारी डा० सत्येन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ०नि० संतोष कुमार, हे०का० रामसवारथ, का० दिलीप कुमार, का० विकाश द्विवेदी, का० अभिनव पाण्डेय, मय चालक हे०का० धर्मेन्द्र तिवारी वाहन संख्या– UP61G0396 टाटा सोमो के थाने से देखभाल क्षेत्र चेकिंग रात्रि गस्त, सदिग्ध व्यक्ति / अपराधी मे थाने से बाहवाले रपट न०–70 समय 23.35 बजे रवाना होकर भडसर चट्टी पर संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर ग्राम गन्नापुर में स्थित प्राइमरी स्कूल के पास दो सदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं, उनके पास संदिग्ध मादक पदार्थ है और किसी के आने का इन्तजार कर रहे है, यदि शीघ्रता कि जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर मैं उ०नि० हमराहीगण को सूचना से अवगत कराते हुए हम पुलिस वाले मय मुखबिर के आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है तथा आसनायराह से गवाहन फराहाम करने की कोशिश किया तो नावक्त होने के कारण कोई भी जनता का व्यक्ति गवाही के लिए मौजूद नहीं मिला कि हम पुलिस वाले भड़सर चट्टी से चल कर गन्नापुर में स्थित प्राइमरी स्कूल से 200 मी० पहले गाड़ी व चालक को छोड़कर मुनासिब हिदायत कर लुक छिप कर पैदल पैदल प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचे, गन्नापुर में स्थित प्राइमरी स्कूल से कुछ दूर पहले मुखबिर खास ने हाईवे की पटरी से नीचे गन्नापुर प्राईमरी स्कूल की दीवाल से सटे खड़े दो व्यक्ति की तरफ इशारा कर हट बढ गया कि हम पुलिस वाले ट्रेनिंग मे सिखलाये गये तौर तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपने

आप को बचते बचाते व छिपते छिपाते हुए उक्त दोनों व्यक्तियों के पास पहुंचे कि हम पुलिस वालों को देखकर दोनों व्यक्ति अलग–अलग दिशा में भागने की कोशिश किये कि एकबारगी दबिस देकर हिकमत अमली से मौके पर पकड़ लिया गया, जिनसे सुनसान स्थान व नावक्त के समय आने के सम्बन्ध में नियमानुसार नाम पता पूछा गया, तो दोनों लोगों ने बारी–बारी व एक साथ पूछने पर गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब हम लोगों के पास हेरोइन मादक पदार्थ है, इसीलिए चोरी छिपे सुनसान रास्ते खडे होकर साधन का इन्तजार कर रहे थे कि आप लोगों ने अचानक से आकर पकड़ लिया। पकड़े गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम इन्द्रजीत विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा निवासी ग्राम अरसदपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अरशद जमाल उर्फ मेराज पुत्र गुलमोहम्मद निवासी ग्राम अहीरपुरवा थाना जंगीपुर उम्र 19 वर्ष बताया। चूंकि सूचना मादक दव्य पदार्थ से सम्बन्धित है, इस पर मुझ थाना प्रभारी द्वारा दोनों लोगों को बताया गया कि यदि तुम लोगों के पास हीरोईन पदार्थ है, तो तुम लोग अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी को चल कर दो, ये तुम्हारा अधिकार है और मुझ थाना प्रभारी द्वारा अपने सीयूजी नम्बर 9454403446 से श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कासिमाबाद के पर्सनल नम्बर 9838951567 से समय 01.27 बजे 37 सेकेण्ड वार्ता कर बताया गया, तो श्रीमान जी द्वारा बताया गया कि मैं आ रहा हूँ तथा श्रीमान उपजिलामजिस्ट्रेट महोदय सदर से उनके सीयूजी न०–9454417075 से 1.31 बजे काल किया, लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका। समय 2.14 बजे रात्रि श्री अनुभव राजर्षि क्षेत्राधिकारी महोदय कासिमाबाद मौके पर आ गये जिनके द्वारा बारी–बारी क्रमशः अभियुक्त इन्द्रजीत विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा निवासी ग्राम अरसदपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति अरशद जमाल उर्फ मेराज पुत्र गुलमोहम्मद निवासी ग्राम अहीरपुरवा थाना जंगीपुर उम्र 19 वर्ष की नियमानुसार जामातलाशी ली गयी, तो दोनों अभियुक्तों के दाहिने हाथ में एक–एक पालीथीन के अन्दर सफेद मादक पदार्थ भरा हुआ बरामद हुआ, जिसे दोनों अभियुक्तों द्वारा हीरोईन पदार्थ का होना बताया गया, पैकटों को खोलकर सूंघ कर भौतिक सत्यापन किया गया, तो होरोइन की गंध तीव्र रुप से आ रही है, जिसे मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू से तौला गया, तो अभियुक्त इन्द्रजीत विश्वकर्मा के कब्जे से 300 ग्राम हीरोईन व एक अदद मोबाईल सैमसंग एस 20 प्लस तथा दूसरे अभियुक्त अरशद जमाल उर्फ मेराज के कब्जे से 400 ग्राम व एक अदद मोबाईल रियलमी नराजो 20 व पास में खड़ी एक अदद मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस UP61H3015 बरामद हुआ। दोनो अभियुक्तों से सामूहिक व अलग अलग हीरोईन पदार्थ के सम्बन्ध में पूछा गया, तो सभी ने अलग अलग व एक साथ बताया कि साहब यह हेरोईन पदार्थ हम लोगो को मुन्ना राम पुत्र अजात निवासी ग्राम बवेडी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ने अपनी स्कार्पियो से निकाल कर दिया था और कहा था कि तुम दोनों लोग इसे ले जाओ और मंहगे दामो में बेच देना, जो लाभ मिलेगा, उसे बराबर बाट लेंगे, मुन्ना राम के कहने पर हम लोगो ने इस हेरोईन को लेकर चोरी छिपे जाकर बेच देते साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिए। अभियुक्त इन्द्रजीत विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा निवासी

अरसदपुर थाना जंगीपुर गाजीपुर उम्र 19 वर्ष थाना स्थानीय मु०अ०स०–109/2026 धारा 8/21/27ए/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट में वांछित अभियुक्त है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा समूहिक रुप से मादक पदार्थ (हीरोईन) का व्यापार करना, एक दूसरे को दुष्प्रेरित कर लाभ कमाना धारा 8/21/27ए/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बता कर बजाप्ता बकायदा आज दिनांक 01.06.2026 की रात्रि 02.54 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद माल को उसी पालीथीन में रखकर पारदर्शी डिब्बे में सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर अलग–अलग बनाया जा रहा है, गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया तथा बरामद मोटर साइकिल स्पेलण्डर प्लस UP61H3015 को ई–चालान एफ के माध्यम से 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश निर्देश का अक्षरः पालन किया गया गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनो को जरिये दूरभाष अकब से दी जा रही है। फर्द मौके पर टार्च व गाडी की रोशनी में मुझ थाना प्रभारी द्वारा बोल–बोलकर का० दिलीप कुमार से लिखवाकर पढ़ कर सुनाकर हस्ताक्षर हमराही कर्मचारीगण व दोनों अभियुक्तों के अलामात बनवाये जा रहे है।

3– आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अभिकथित है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक झूंठा, मनगढ़न्त व बेबुनियाद एवं बनावटी है। वास्तव में ऐसी कोई गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हुई है, जैसा कि दर्शाया गया है एवं पुलिस बल द्वारा दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से एक ही फर्द से गिरफ्तार करके झूंठी गिरफ्तारी दिखाया है, जो कि विधिक प्राविधानों के विरूद्ध है। धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का प्रयोग नहीं किया गया है, जो प्रत्येक प्राविधानों के सर्वथा विरूद्ध है एवं कानूनी दृष्टि से शून्य है। तथाकथित बारमदगी पुलिस दल द्वारा कथित रूप से मुखबीर की सूचना पर दर्शायी गयी होने के बावजूद विधि के प्राविधानों के अनुरूप कोई गिरफ्तारी न बनाया जाना और इसका कोई स्पष्टीकरण न होना पूरी गिरफ्तारी ओर बरामदगी को विधि विरूद्ध साबित करता है। पुलिस बल द्वारा कथित रूप से आवेदक/अभियुक्त व अन्य अभियुक्त द्वारा पुलिस बल को तलाशी दिये जाने के तथाकथित स्वीकृति का कोई मेमो न बनाया जाना भी अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में रखता है। धारा–52, 52A, 55 व 57 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का भी नियमानुसार पालन न किये जाने के कारण तथाकथित गिरफ्तारी और बरामदगी शून्य दर्शायी है। पुलिस बल द्वारा बिल्कुल गलत व फर्जी ढंग से आवेदक/अभियुक्त का चालान किया है, तथाकथित बरामदशुदा वस्तु जिसको हेरोईन कहा जा रहा। आवेदक/अभियुक्त से कोई मतलब सरोकार नहीं है और न तो ऐसी कोई वस्तु आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामद हुई है। आवेदक/अभियुक्त किसी मुकदमें में सजायाफ्ता नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्त हेरोईन सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य

है तथा अपने गिरोह के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में हेरोईन सप्लाई करने का कार्य करता है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना किया गया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त अरशद जमाल उर्फ मेराज के कब्जे से पुलिस द्वारा 400 ग्राम नाजायज हेरोईन बरामद होना बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय को धारा–37 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है।

> **37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, –**
>
> **(क).** इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;
>
> **(ख).** धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब–
>
> (i). लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और
>
> (ii). **जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का या समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।**

7– उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह समाधान हो सके कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

8– अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता एवं बरामदशुदा अवैध की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अरशद जमाल उर्फ मेराज द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–10.06.2026

(शक्ति सिंह–I)
विशेष न्यायाधीश–एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
गाजीपुर

Digitally signed by SHAKTI SINGH
Date: 2026.06.10 14:36:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court